



**आरईसी लिमिटेड** (भारत सरकार का उद्यम)  
सीआईएन: L40101DL1969G0I005095 | जीएसटी: 06AAACR4512R3Z3

### आईईपीएफ प्राधिकरण को इक्विटी शेयरों के अंतरण के लिए सूचना

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 ("आईईपीएफ नियम") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में इक्विटी शेयरों को अंतरित किया जाना अपेक्षित है, जिनके संबंध में निरंतर सात वर्षों के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है/ दावा नहीं किया गया है।

तदनुसार, संबंधित शेयरधारकों के वर्तमान मौजूद पत्तों पर कंपनी द्वारा व्यक्तिगत रूप से पत्राचार किया गया है, जिसमें उनसे लाभांश राशि का दावा करने का अनुरोध किया गया है, जो नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए भुगतान नहीं किया है/ दावा नहीं किया गया है: -

विवरण	घोषणा करने की तिथि	लाभांश का दावा करने की अंतिम तिथि	आईईपीएफ प्राधिकरण को दावा न की गई लाभांश राशि और शेयरों के अंतरण की समय-सीमा
अंतिम लाभांश 2014-15	16 सितंबर, 2015	20 अक्टूबर, 2022	19 नवंबर, 2022 या इससे पहले
अंतरिम लाभांश 2014-15	10 फरवरी, 2016	13 मार्च, 2023	12 अप्रैल, 2023 या इससे पहले

ऐसे शेयरधारकों का विवरण और उनके फोलियो नंबर या डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी, कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/iepf-details> पर भी उपलब्ध है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त उल्लिखित पत्राचार के अनुसार, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए) अर्थात श्री एस.वी. राजू, उप महाप्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यूनिट: आरईसी, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गॉचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032 || दूरभाष. नंबर: 040-67161569 || ईमेल: [raju.sv@kfintech.com](mailto:raju.sv@kfintech.com) || वेबसाइट: [www.kfintech.com](http://www.kfintech.com) के अधिकारियों को शेयरों और दावा न की गई लाभांश राशि (राशियों) का दावा करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज भेजे या श्री अनिकेत कुलश्रेष्ठ, मुख्य प्रबंधक से || दूरभाष. नंबर: 0124-271 5525 || ईमेल आईडी: [aniket@recl.in](mailto:aniket@recl.in) से संपर्क करें।

यदि संबंधित शेयरधारकों से अपेक्षित दस्तावेज अंतरित किए जाने की देय तारीख अर्थात 20 अक्टूबर, 2022 (अंतिम लाभांश 2014-15 के मामले में) और 13 मार्च, 2023 (अंतरिम लाभांश 2015-16 के मामले में) को या इससे पहले प्राप्त नहीं होते हैं, तो सात वर्ष पूरा हो चुके, अप्रदत्त अन्तरिम लाभांश राशि के साथ इक्विटी शेयरों को बिना कोई सूचना दिए आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिया जाएगा। उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में आईईपीएफ को अंतरित कर दी गई और दावा न की गई लाभांश राशि और/अथवा इक्विटी शेयरों के संदर्भ में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, दावा न की गई लाभांश राशि और आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित तदनुसारी शेयरों को, ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभ सहित, यदि कोई हो, आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः दावा किया जा सकता है।

कृते आरईसी लिमिटेड  
ह/-

(जे.एस. अमिताभ)

स्थान: गुरुग्राम  
दिनांक: 18 जुलाई, 2022

कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव



**REC Limited** (A Government of India Enterprise)  
CIN: L40101DL1969G0I005095 | GST: 06AAACR4512R3Z3

### NOTICE FOR TRANSFER OF EQUITY SHARES TO IEPF AUTHORITY

In terms of requirements of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules"), the Company is required to transfer the equity shares, in respect of which dividend remains unpaid/unclaimed for a period of seven consecutive years, to the demat account of IEPF Authority.

Accordingly, individual communications have been sent by the Company at the latest available addresses of the concerned shareholders, requesting them to claim dividend amounts which have remained unpaid/unclaimed consecutively for a period of seven years, as per details mentioned below:-

Particulars	Date of declaration	Last date for claiming dividend	Timeline for transfer of unclaimed dividend amount and shares to IEPF Authority
Final dividend 2014-15	September 16, 2015	October 20, 2022	On or before November 19, 2022
Interim dividend 2015-16	February 10, 2016	March 13, 2023	On or before April 12, 2023

The details of such shareholders and their folio number or DP ID-client ID, are also available on the website of the Company at <https://recindia.nic.in/iepf-details>.

In view of the above, such shareholders are requested to forward the requisite documents, as per the above-mentioned communication, to the officials of Registrar and Share Transfer Agent (R&TA) of the Company viz. Shri S.V. Raju, Deputy General Manager, Kfin Technologies Limited, Unit : REC, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 || Tel. No.: 040-67161569 || email: [raju.sv@kfintech.com](mailto:raju.sv@kfintech.com) || website: [www.kfintech.com](http://www.kfintech.com) or contact Shri Aniket Kulshreshtha, Chief Manager || Tel. No.: 0124-271 5525 || email ID: [aniket@recl.in](mailto:aniket@recl.in), to claim the shares and unclaimed dividend amount(s).

In case, requisite documents from the concerned shareholders are not received on or before the due date of transfer i.e., October 20, 2022 (in case of final dividend 2014-15) and March 13, 2023 (in case of interim dividend 2015-16), the equity shares along with the unpaid dividend amounts, having completed seven years, shall be transferred to IEPF Authority, without any further notice. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules. Further, the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF Authority including all benefit(s) accruing on such shares, if any, can be claimed back after following the procedure prescribed in the IEPF Rules.

For REC Limited  
Sd/-

(J.S. Amitabh)

Place : Gurugram  
Date: 18<sup>th</sup> July, 2022

Executive Director & Company Secretary